भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 721

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना

721. श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री नवसकनी के. :
श्री जी. सेल्वम:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) तमिलनाडु राज्य में प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की जिला-वार संख्या कितनी है और इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत राज्यों को पर्याप्त निधियां प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना को कार्यान्वित करते समय सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ड.) क्या सरकार की योजना के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की राशि में वृद्धि करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति लाभ के लिए अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन प्राप्त होता है ताकि महिला को औसतन 6000/- रुपए प्राप्त हों। दूसरे बच्चे के लिए

पात्र लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई के तहत 6,000/- रुपये का नकद प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो।

पीएमएमवीवाई के तहत, वर्ष 2017-18 में योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 30.06.2024 तक 3.96 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान 3.44 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 15,401 करोड़ रूपए (केंद्र और राज्य दोनों का भाग शामिल) से अधिक का मातृत्व लाभ प्रदान किया गया है।

योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 18.07.2024 तक पीएमएमवीवाई के तहत नामांकित लाभार्थियों की संख्या का जिलावार विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख) और (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) अनुपालन पूरा होने पर पीएमएमवीवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त धनराशि जारी की गई है। पीएमएमवीवाई के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि में केंद्रीय हिस्से का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ) और (ड.) पीएमएमवीवाई का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना को लागू करने में मंत्रालय को किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएमवीवाई के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोर्टल से संबंधित समस्याओं पर सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है; प्रौद्योगिकी समाधान से जुड़ी कार्यकलापों को सहायता, नियोजन और निगरानी करके योजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाता है; सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करता है, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता(आशा),सहायक नर्स और मिडवाइफ(एएनएम) और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) की क्षमता निर्माण करता है।

पीएमएमवीवाई के तहत मातृत्व लाभ की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुलग्नक -I

'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के संबंध में श्री सी.एन. अन्नादुरई, श्री नवसकनी के और श्री जी. सेल्वम द्वारा पूछे गए दिनांक 26.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 721 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 18.07.2024 तक तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत नामांकित लाभार्थियों की जिलावार संख्या

क्रम सं	जिला	नामांकित लाभार्थियों की संख्या
1	अरियालूर	25,690
2	चेंगलपट्टू	15,360
3	चेन्नई	1,29,357
4	कोयंबत्तूर	1,04,903
5	कुड्डालोर	74,913
6	धर्मपुरी	48,506
7	डिंडीगुल	56,676
8	इरोड	47,047
9	कल्लाकुरिची	9,919
10	कांचीपुरम	89,400
11	कन्नियाकुमारी	41,507
12	करूर	26,604
13	कृष्णागिरी	51,997
14	मदुरै	92,750
15	माइलादुत्रयी	6,916
16	नागपट्टिनम	37,025
17	नमक्कल	42,605
18	पेरम्बलुर	17,920
19	पुदुक्कोट्टई	50,721
20	रामनाथपुरम	38,569
21	रानीपेट	6,095
22	सलेम	97,525
23	शिवगंगा	38,746
24	तेनकासी	8,976
25	तंजावुर	59,216
26	नीलगिरी	14,311
27	थेनी	34,365

28	तिरुवल्लुर	74,144
29	थिरुवरुर	35,122
30	तिरुचिरापल्ली	74,782
31	तिरुनेलवेली	71,257
32	तिरुपत्तूर	8,068
33	तिरुपूर	65,300
34	तिरुवन्नामलाई	71,674
35	तूतीकोरिन	41,708
36	वेल्लोर	96,749
37	विल्लुपुरम	92,082
38	विरुधुनगर	49,736
	कुल	**19,48,241**

अनुलग्नक -II

'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के संबंध में श्री सी एन अन्नादुरई, श्री नवसकानी के और श्री सेल्वम जी द्वारा पूछे गए दिनांक 26.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 721 के भाग (ख) और (ग)के उत्तर में संदर्भित विवरण

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि में केंद्रीय हिस्से का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22 (करोड़ रूपए में)	2022-23 (करोड़ रूपए में)	2023-24 (करोड़ रूपए में)
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	1.19	0.18	0.00
2	आंध्र प्रदेश	20.22	71.89	57.99
3	अरुणाचल प्रदेश	1.13	1.43	0.00
4	असम	35.47	79.18	155.06
5	बिहार	211.74	171.74	0.00
6	चंडीगढ़	1.96	0.62	4.08
7	छत्तीसगढ	38.66	72.75	0.00
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.71	1.84	0.91
9	दिल्ली	1.09	1.61	27.15
10	गोवा	46.32	10.75	0.00
11	गुजरात	40.02	63.66	75.65
12	हरियाणा	21.17	14.19	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	39.34	20.60	10.57
14	जम्मू और कश्मीर	58.39	29.28	33.61
15	झारखंड	142.77	148.87	0.00
16	कर्नाटक	53.37	53.96	113.97
17	केरल	0.38	0.31	61.06
18	लद्दाख	0.11	0.01	0.70
19	लक्षद्वीप	130.29	204.02	0.24
20	मध्य प्रदेश	99.50	240.83	105.52
21	महाराष्ट्र	1.15	3.45	0.00
22	मणिपुर	5.08	6.26	7.93
23	मेघालय	2.90	1.99	0.00
24	मिजोरम	4.98	2.03	1.41
25	नागालैंड	28.31	31.46	2.42
26	ओडिशा	0.00	0.00	0.00

27	पुदुचेरी	2.39	1.96	0.00
28	पंजाब	16.47	18.82	32.06
29	राजस्थान	108.20	81.84	123.23
30	सिक्किम	0.42	0.70	1.28
31	तमिलनाडु	35.02	68.03	0.00
32	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00
33	त्रिपुरा	4.53	3.27	11.31
34	उत्तर प्रदेश	290.85	500.68	0.00
35	उत्तराखंड	20.71	16.69	30.35
36	पश्चिम बंगाल	162.59	63.23	0.00
	कुल योग	**1,628.42**	**1,988.13**	**856.50**

******